हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.26 पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पत्ति का कथन किया गया है परन्तु पैतृक भूमि के ताईद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित नही होती है, वादीगण द्वारा जानबूझकर अदालत हाजा में झूठे एवं मिथ्या कथनों पर उक्त वाद पत्र पेश किया है वादीगण साफ हाथो से नहीं आया है वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की खरीदसुदा भूमि है जो पैतृक भूमि नहीं होकर प्रतिवादीगण की निजी सम्पत्ति है जिसमें किसी प्रकार का मुसलमान (मोमडन लॉ) में हक अधिकार नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा मिथ्या कथनो पर आधारित होने से खारिज योग्य है। वादीगण अधिवक्ता की बहस है कि रावताजी पुत्र गाजीजी कुम्हार मोयला के दो पुत्र थे, मालाजी व साजनजी तथा वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट रावताजी के दोनो पुत्र काबिज काश्त थे, किन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने गलती से बडे भाई होने से अकेले माजाली पुत्र रावताजी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी तत्पश्चात साजन का देहान्त हो जाने पर मालाली द्वारा अपने सगे भाई साजन के पुत्रों सकूरखा ,उस्मान खां, सुलेमान खां, एवं साजनखां के हक में हकतर्क करने की बजाय बेचान रजिस्ट्री से उक्त भूमि उनक नाम हस्तान्तरण कर खातेदारी दर्ज कर दी , वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 शकूर खां की खरीदसुदा स्वअर्जित निजी सम्पत्ति न होकर मालजी व साजनी दोनो भाईयों की वक्त जागीरकाल से संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि थी किन्तु सहवन से अकेले मालाजी पुत्र रावता के नाम खातेदारी दर्ज हो गई खसरा संख्या 761 साजन के सभी पुत्रो द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की थी, किन्तु बडा भाई शकूर खां ने अपने प्रथम पत्नी जेनो बानो को मेहर के रूप में लिखत कर कब्जा व स्वामित्व का हस्तानान्तरण कर दिया गया, जहां पर वादीगण का रहवासीय मकानात तथा घरेलू कनेक्शन भी लिया गया है, वादीगण अधिवक्ता ने आगे बहस मे कथन किया वाद का निस्तारण विवादक तय करने के पश्चात ही समग्र साक्ष्य सामने आने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। लिहाजा उक्त वाद विधि के तहत पोषणीय होने के कारण प्रतिवादीगण का प्रार्थना अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमया जावे। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

हमने दोनो पक्षो के अधिवक्ता के बहस पर गंभीरता से वं मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचना किया। तथा वादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया।

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.– वाद पत्र का नामंजूर किया जानाः– वाद पत्र निम्नलिखित दशा में नामंजूर किया जाएगा

(क) जहाँ वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है कि वादी मूल्याकंन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया है,ऐसा करने मे असफल रहता है ;

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है,ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता हे कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

(ड) जहां यह दो प्रतियों मे फाइल नहीं किया जाता है;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

यह न्यायालय को यह तय करना था कि उक्त वाद पत्र वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण चलने योग्य है अथवा नहीं ?

वादीगण वकील ने वादग्रस्त भूमि का पैतृक भूमि होने का कथन किया, जबकि प्रतिवादीगण अधिवक्ता की कथन है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं होकर प्रतिवादीगण की खरीदसुदा भूमि है जो प्रतिवादीगण की निजी स्वामित्व की है, वादीगण अधिवक्ता का कथन है कि उक्त भूमि व रावताजी पुत्र गाजीजी कुम्हार मोयला के दो पुत्र थे, मालाजी व साजनजी तथा वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट रावताजी के दोनो पुत्र काबिज काश्त थे, किन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने गलती से बडे भाई होने से अकेले माजाली पुत्र रावताजी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी तत्पश्चात साजन का देहान्त हो जाने पर मालाली द्वारा अपने सगे भाई साजन के पुत्रों

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सकूखा,उस्मान खां, सुलेमान खां, एवं साजनखां के हक में हकतर्क करने की बजाय बेचान रजिस्ट्री से उक्त भूमि उनके नाम हस्तान्तरण कर खातेदारी दर्ज कर दी , वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 शकूर खां की खरीदसुदा स्वअर्जित निजी सम्पत्ति न होकर मालजी व साजनी दोनो भाईयों की वक्त जागीरकाल से संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि थी किन्तु सहवन से अकेले मालाजी पुत्र रावता के नाम खातेदारी दर्ज हो गई वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वाद हैतृक उत्पन्न होने से उक्त वादत्र अदालत हाजा में चलने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त खसरा संख्या 759,786 व 761 प्रतिवादी सकूरखा ,उस्मान खां, सुलेमान खां, एवं साजनखां द्वारा दिनांक 29.09.1977 को जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज खरीद की गई थी जिसकी साख जोगसिंह पुत्र भूरसिंह व व बरकत पुत्र गफूरखां निवासी सिवाना द्वारा दी गई। वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य /दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो की वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि हो । लिहाजा प्रतिवादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. (क) के तहत वाद हैतृक उत्पन्न नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 04.06.26 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

डिक्री व मुकद्दमे इब्तादाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 145 / 2025

वादीगणः–

1. जैनोबानू पत्नी सकूरखां जाति मुसलमान निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मुबारक खां पुत्र सकूरखां जाति मुसलमान निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. गीगे खां पुत्र सकूरखां जाति मुसलमान निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. सूका उर्फ सकीना पुत्री सकूरखां जाति मुसलमान निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सकूर खां पुत्र साजनखां जाति मुसलमान निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. उस्मान खां पुत्र साजनखां जाति मुसलमान निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. सुलेमान खां पुत्र साजनखां जाति मुसलमान निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. जुम्मे खां पुत्र साजनखां जाति मुसलमान निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे शाखा पादरू
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : – 04.06.26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री गजेसिंह भाटी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र पर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख04.06.26को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना